कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - धमतरी (छ.ग.)
जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी

फोन नं. -07722-232810 ईमेल -dtc.dhamtari@gmail.com फैक्स नं. -7722-235522

क्रमांक/NHM/HR/2021/ (265) धमतरी, दिनांक 06/04/2021

!! आदेश !!

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ०ग० के पत्र क्रमांक/NHM/HR/2018/687/1557, रायपुर, दिनांक 08.08.2018, पत्र क्रमांक/NHM/2018/(NS-938)/1764, नया रायपुर, दिनांक 31.08.2018 एवं पत्र क्रमांक/NHM/HR/2019/(NS-462)/1197, अटल नगर, दिनांक 15.07.2019 के परिपालन में इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/सीएमएचओ/2019/14416 धमतरी दिनांक 01.10.2019 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के तारतम्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत **Sanitary Attendant-NPHCE** संविदा पर की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में प्राप्तांक के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्वास्थ्य संस्थाओं पर उनके कार्य दिवस पर उपस्थित होने के दिनांक से 31 मार्च 2022 तक के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	प्रवर्ग	चयनित प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	ज्योति	श्री रमेश कुमार	OBC	UR	जिला चिकित्सालय धमतरी, जिला–धमतरी (छ०ग०)

::नियुक्ति शर्तें::

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदो की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. मानव संसाधन नीति 2018 के अंतर्गत होगी।
2. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका–15 की अन्य शर्ते लागू होगी।
3. संविदा पर 8,800/–(आठ हजार आठ सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
4. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भत्ता/सुविधा देय नही होगा।
5. संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता देय होगा।
6. संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी, जो कि पूर्णतः अस्थाई होगी। वार्षिक कार्यमूल्यांकन संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेंगी।
7. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के आनुपातिक आधार पर की जावेगी। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकिंत किया जावेगी। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिए ही की जा सकती है। अतः प्रसूति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 180 दिवस की होगी।
8. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

9. सेवा समाप्ति पश्चात् शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
10. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
    10.1 प्रसूति उपरांत, प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी।
    10.2 प्रथम नियुक्ति के प्रथम छः महीने पश्चात् ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
    10.3 अनुबंध के समय अभ्यर्थी को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे :-
    - हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वी.) की अंकसूची।
    - हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची।
    - संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
    - संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
    - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण पत्र।
    - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन पत्र।
    - कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
    - विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र।
    - आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता पासबुक (बैंक ऑफ इंडिया) की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं 02 पासपोर्ट आकार की स्वयं की फोटो।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आने-जाने की अनुमति नही होगी तथा ऐसा पाए जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
12. प्रत्यके त्रैमास में कार्य प्रगति प्रतिवेदन संबंधित SPMU/DPMU/BPMU को प्रेषित करेंगें तथा संविदा नियुक्ति कर्मचारी का प्रतिवर्ष Performance Appresel Report तैयार किया जावेंगा।
13. संविदा नियुक्ति सामान्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार 01 वर्ष के लिए होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Performance Appresel) कर निर्धारित मापदण्डों के उपर होने पर संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर, संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ातें हुए मिशन की अवधि में नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी। Performance Appresel Report में निर्धारित मापदण्ड अनुसार अंक प्राप्त नहीं होने पर अंकों के आधार पर नियमानुसार निर्धारित कार्यवाही की जावेगी। इसके लिए कर्मचारी को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगीं।
14. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
15. जिला एवं विकासखंड में पदस्थापना के दौरान संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को संविदा शर्तो के तहत् नियुक्तिकर्ता/नियंत्रणकर्ता के साथ पदभार ग्रहण के समय एवं प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्षानुसार) 50/- रू0 के गैर न्यायिक बंधपत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। संविदा नियुक्त आदेश जारी होने पर नियुक्त व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से काई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
16. आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थि को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. समय-समय पर विभाग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं लागू होगें।
18. आपकों नियुक्ति आदेश जारी होने उपरांत **सर्वप्रथम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धमतरी में उपस्थिति देनी होगी, तद्उपरांत अपने नियुक्ति स्थल-संबंधित स्थल में दिनांक 15/04/2021 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपकी संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।**

19. नियुक्ति / शर्तो में शिथिलीकरण का अधिकार शासी निकाय, राज्य स्वास्थ्य समिति / मिशन संचालक का होगा।
20. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होगें।
21. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी को **HRMIS** पोर्टल में सात दिवस के अंदर अपनी जानकारी प्रविष्टी एवं अद्यतन कराया जाना होगा। इसके पश्चात् ही मासिक मानदेय **HRMIS** पोर्टल के माध्यम से आहरण किया जावेंगा।

06-04-2021
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – धमतरी (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / NHM / HR / 2021 / 6289–96 **धमतरी, दिनांक /04/2021**

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर–27 अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सेक्टर–27, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अस्पताल धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन धमतरी की ओर सूचनार्थ।
7. संबंधित को पालनार्थ कि निर्धारित समयावधि पर उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. कार्यालयीन प्रति।

06-04-2021
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – धमतरी (छ.ग.)